



राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ 4 ()/आकाशि/नि०सं०/2020/452

दिनांक:- 02-09-2020

सचिव/अध्यक्ष/प्राचार्य,
समस्त निजी संस्थाएँ/महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधाएँ उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर का पत्र
दिनांक 18.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि Person with disabilities Act 1995 तथा NAAC Manual में वर्णित अनुसार राज्य के समस्त निजी महाविद्यालयों में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट, रैंप, ब्रेल सॉफ्टवेयर, सेपरेट टॉयलेट, स्काइब फॉर एग्जामिनेशन आदि सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि, दिव्यांगों के लिए उक्त उल्लिखित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप महालेखाकार/एएमजी-II, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक ईसीपीए-III/ए-12011/136/FS-Outcome of HE/2018-19/Vol.-IV/041 दिनांक 18.08.2020 के क्रम में।

✓ वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, अपलोड करने हेतु।

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।